

511 न्यायालय :- श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्य कोर्ट

रीवा (म0प्र0)



R - 2900 - 1114

498
23-8-14

रामदीन साहू आत्मज शिवदयाल साहू निवासी तेन्दुआढ थाना ब्यौहारी तहसील जयसिंहनगर
जिला - शहडोल (म0प्र0) आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- रामधनी कोल आत्मज बली कोल
- 2- लालमन कोल आत्मज बली कोल
- 3- रज्जू कोल पिता बली कोल
- 4- माधव कोल पिता बली कोल सभी निवासी तेन्दुआढ थाना ब्यौहारी तहसील
जयसिंहनगर जिला - शहडोल म0प्र0 अनावेदकगण / उत्तरदातागण

सुशील कुमार
23-8-14
प्रस्तुत किया गया

राजस्व निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश द्वारा राजस्व
निरीक्षक महोदय वृत्त टिहकी तहसील जयसिंहनगर
जिला - शहडोल के राजस्व प्रकरण क्रमांक -
47/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश
दिनांक - 30.06.2014 से व्यथित होकर
निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म0प्र0भू0रा0सं0 - 1959

मान्यवर ,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा तेन्दुआढ तहसील

जयसिंहनगर में स्थिति आराजी खसरा न0 - 410 रकवा 5.01, 498/1 रकवा 3.83 हे0

भूमि आवेदक के पटटे व कब्जे दखल की भूमि है जिसमें आवेदक पुस्तैनी रूप से निरंतर

आज तक काबिज है। उक्त आराजी के अंश भाग में आवेदक ने मकान , कुआँ , बाड़ी

(2)

रामदीन साहू

511

2


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक -निग.-2900-दो/2014

जिला- शहडोल

रामदीन साहू विरुद्ध रामधनी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-01-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सुनील कुमार शुक्ला उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त टिहकी, तहसील जयसिंहनगर, जिला- शहडोल के प्र.क्र. 47/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-03-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p style="text-align: center;">  (आर.के.जेन) सदस्य 22/01/19 </p>